प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्याः 8075 /एम0एम0रसी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 15/02/2024

विषयः–विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मीरजापुर में निजी भूमि में उपलब्ध सैण्ड स्टोन ईमराती पत्थर यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–2025/86–2019–57 (सा0)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु ई निविदा आमंत्रण सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि ई निविदा आमंत्रण सूचना को व्यापक प्रचाार–प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्र संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 8074/खनिज/ई–निविदा/खण्डा–ई0प0/2024 दिनांक: 15/02/2024

प्रेस नोट

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर में निजी भूमि में उपलब्ध सैण्डस्टोन ईमारती पत्थर यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या 2025/86–2019–57(सा0)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार 10 वर्ष की अवधि के लिए ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 18/02/2024 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 26/02/2024 समय सायं 05:00 बजे तक क्षेत्रों के लिए ई–निविदा, ई–निविदा पोर्टल "etender.up.nic.in"पर आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई–निविदाओं को दिनांक 27/02/2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

क्षेत्र का विवरण :–

	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील/ ग्राम / डी0एस0आर0 कोड	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घनमी0 में)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु0 प्रति घन मीटर)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रूपयों में	अर्नेस्ट मनी (कालम 09 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्रीमती सुषमा मिश्रा पत्नी श्री राजेश मिश्र निवासी ग्राम चण्डिका तहसील सदर जनपद मीरजापुर व श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र सुदामा प्रसाद तिवारी एवं श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी सुदामा प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पुतरिहा तहसील सदर जनपद–मीरजापुर।	सदर/ चॉदलेवा कलां / 2116410408	786 व 787	1.21	सैण्ड स्टोन	50000	110/-	55,00,000	13,75,000
2.	श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम बेदौली तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर।	मड़िहान/ हड़ौरा / 2121270401	396क	2.13	सैण्ड स्टोन	150000	110/-	1,65,00,000	41,25,000
3.	श्री राजेन्द्र बहादुर पुत्र श्री शोभनाथ निवासी ग्राम देवरी शिव बालक खास (कंतित) तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर।	मड़िहान/ शिव बालक खास (कंतित) / 2121410401	1394ग	1.01	सैण्ड स्टोन	45000	110/-	49,50,000	12,37,500
4.	श्री अरविन्द कुमार तिवारी, सुभाष चन्द्र तिवारी एवं श्री अनिरूद्ध कुमार तिवारी पुत्रगण श्री विक्रमाजीत तिवारी, निवासी ग्राम चौगना, पो0 करोड, भदोही, सन्त रविदास नगर	लालगंज/ भूसी पथरहा / 2117610407	83घ	5.00	सैण्ड स्टोन	225000	110/-	2,47,50,000	61,87,500

CamScanner

उपरोक्त क्षेत्र की सीमाएँ एवं जियो कार्डिनेट्स

क्र. स.	सीमाएँ	जियो–कार्डिनेट्स		
			अक्षांश	देशान्तर
1	उत्तर– आ0सं0 782 दक्षिण– आ0सं0 786 एवं 787 का शेष भाग बाद आ0सं0 790 पूरब– आ0सं0 788 पश्चिम– आ0सं0 784	A	25° 2'47.30" N	82°45'41.47" E
		B	25° 2'51.30" N	82°45'41.95" E
		C	25° 2'50.88" N	82°45'45.29" E
		D	25° 2'46.73" N	82°45'44.88" E
2	उत्तर– आ0सं0 396 का शेष भाग दक्षिण– आ0सं0 396 का शेष भाग पूरब– आ0सं0 396 का शेष भाग पश्चिम– आ0सं0 396 का शेष भाग	A	25° 0'9.99" N	82°35'13.06" E
		B	25° 0'13.17" N	82°35'14.90" E
		C	25° 0'12.83" N	82°35'16.71" E
		D	25° 0'14.61" N	82°35'17.14" E
		E	25° 0'14.64" N	82°35'20.21" E
		F	25° 0'8.55" N	82°35'18.18" E
3	उत्तर– आ0सं0 1394 का शेष भाग दक्षिण– आ0सं0 1394 का शेष भाग पूरब– आ0सं0 1394 का शेष भाग पश्चिम– आ0सं0 1394 का शेष भाग	A	24°57'19.90" N	82°30'26.53" E
		B	24°57'18.02" N	82°30'29.55" E
		C	24°57'14.84" N	82°30'28.15" E
		D	24°57'16.48" N	82°30'25.43" E
4	उत्तर– आ0सं0 83ग में स्वीकृत खनन पट्टा मे0 दिव्या स्टोन वर्क्स दक्षिण– आ0सं0 83 का शेष भाग पूरब– आ0सं0 83घ में स्वीकृत खनन पट्टा मे0 दिव्या स्टोन वर्क्स पश्चिम– आ0सं0 83 का शेष भाग	A	24°59'39.03" N	82°28'36.29" E
		B	24°59'46.03" N	82°28'36.49" E
		C	24°59'44.60" N	82°28'44.90" E
		D	24°59'37.87" N	82°28'44.70" E

उपरोक्त क्षेत्रों पर ई–निविदा डालने वाले इच्छुक आवेदक विस्तृत सूचना खनिज कार्यालय मीरजापुर अथवा "etender.up.nic.in"से प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक:

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, सूचना निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद मीरजापुर में सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रो में से किसी दो समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 8074 खनिज/ई–निविदा/खण्डा–ई0प0/2024 दिनांकः 15/02/2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर में निजी भूमि में उपलब्ध सैण्डस्टोन ईमारती पत्थर यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या 2025/86–2019–57(सा0)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार 10 वर्ष की अवधि के लिए ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 19/02/2024 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 26/02/2024 समय सायं 05:00 बजे तक क्षेत्रों के लिए ई–निविदा, ई–निविदा पोर्टल "etender.up.nic.in"पर आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :–

	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील/ ग्राम / डी0एस0आर0 कोड	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घनमी0 में)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु0 प्रति घन मीटर)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रूपयों में	अर्नेस्ट मनी (कालम 09 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्रीमती सुषमा मिश्रा पत्नी श्री राजेश मिश्र निवासी ग्राम चण्डिका तहसील सदर जनपद मीरजापुर व श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र सुदामा प्रसाद तिवारी एवं श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी सुदामा प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पुतरिहा तहसील सदर जनपद–मीरजापुर।	सदर/ चॉदलेवा कलां / 2116410408	786 व 787	1.21	सैण्ड स्टोन	50000	110/-	55,00,000	13,75,000
2.	श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम बेदौली तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर।	मड़िहान/ हड़ौरा / 2121270401	396क	2.13	सैण्ड स्टोन	150000	110/-	1,65,00,000	41,25,000
3.	श्री राजेन्द्र बहादुर पुत्र श्री शोभनाथ निवासी ग्राम देवरी शिव बालक खास (कंतित) तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर।	मड़िहान/ शिव बालक खास (कंतित) / 2121410401	1394ग	1.01	सैण्ड स्टोन	45000	110/-	49,50,000	12,37,500
4.	श्री अरविन्द कुमार तिवारी, सुभाष चन्द्र तिवारी एवं श्री अनिरूद्ध कुमार तिवारी पुत्रगण श्री विक्रमाजीत तिवारी, निवासी ग्राम चौगना, पो0 करोड़, भदोही, सन्त रविदास नगर	लालगंज/ भूसी पथरहा / 2117610407	83घ	5.00	सैण्ड स्टोन	225000	110/-	2,47,50,000	61,87,500

CamScanner

उपरोक्त क्षेत्र की सीमाएँ एवं जियो कार्डिनेट्स

क्र. स.	सीमाएँ		जियो–कार्डिनेट्स	
			अक्षांश	देशान्तर
1	उत्तर– आ0सं0 782 दक्षिण– आ0सं0 786 एवं 787 का शेष भाग बाद आ0सं0 790 पूरब– आ0सं0 788 पश्चिम– आ0सं0 784	A	25° 2'47.30" N	82°45'41.47" E
		B	25° 2'51.30" N	82°45'41.95" E
		C	25° 2'50.88" N	82°45'45.29" E
		D	25° 2'46.73" N	82°45'44.88" E
2	उत्तर– आ0सं0 396 का शेष भाग दक्षिण– आ0सं0 396 का शेष भाग पूरब– आ0सं0 396 का शेष भाग पश्चिम– आ0सं0 396 का शेष भाग	A	25° 0'9.99" N	82°35'13.06" E
		B	25° 0'13.17" N	82°35'14.90" E
		C	25° 0'12.83" N	82°35'16.71" E
		D	25° 0'14.61" N	82°35'17.14" E
		E	25° 0'14.64" N	82°35'20.21" E
		F	25° 0'8.55" N	82°35'18.18" E
3	उत्तर– आ0सं0 1394 का शेष भाग दक्षिण– आ0सं0 1394 का शेष भाग पूरब– आ0सं0 1394 का शेष भाग पश्चिम– आ0सं0 1394 का शेष भाग	A	24°57'19.90" N	82°30'26.53" E
		B	24°57'18.02" N	82°30'29.55" E
		C	24°57'14.84" N	82°30'28.15" E
		D	24°57'16.48" N	82°30'25.43" E
4	उत्तर– आ0सं0 83ग में स्वीकृत खनन पट्टा मे0 दिव्या स्टोन वर्क्स दक्षिण– आ0सं0 83 का शेष भाग पूरब– आ0सं0 83घ में स्वीकृत खनन पट्टा मे0 दिव्या स्टोन वर्क्स पश्चिम– आ0सं0 83 का शेष भाग	A	24°59'39.03" N	82°28'36.29" E
		B	24°59'46.03" N	82°28'36.49" E
		C	24°59'44.60" N	82°28'44.90" E
		D	24°59'37.87" N	82°28'44.70" E

2– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0। (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)

घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हाँ/नहीं)

ड.. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–
भूस्वामी का नाम–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या–
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा–

च. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 15000/– के जमा का चालान।

छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुना कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)।

ज. खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली ई–निविदा की दर–
(ई–निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)

झ. प्रदेश में ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन जिसमें पटिया/गिट्टी/बोल्डर आदि मिश्रित रूप में पाये जाते हैं, के लिए बोल्डर एवं गिट्टी में से अधिक रायल्टी दर वाले उपखनिज गिट्टी की रायल्टी दर को आधार मूल्य मानकर ई–निविदा की कार्यवाही की जायेगी तथा सैण्डस्टोन डायमेन्शनल (पटिया, चौका, ब्लाक आदि) की ई–निविदा में स्वीकृत अधिकतम रायल्टी दर से कम होने की स्थिति में नियमावली–2021 की अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी दर देयता हेतु प्रभावी होगा।

CamScanner

ट. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ड. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

3– बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।

4– यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है, तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।

5– ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.inपर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

6– यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी:–

(क) ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराना होगा।

(ग) बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

7– निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही करेगा:–

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लागिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जायेगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कार पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई–टेण्डर डाकूमेन्टस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफॅ लाईन" (Pay Offline) पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्री बिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रतिष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार को अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे प्री बिड अर्नेस्ट मनीको टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

CamScanner

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया अपनाते हुए ई–निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर 'अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

8– ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राड बैंण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोल एक्ससी सर्विस पैक–3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।

9– जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादित कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

10– भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07(सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी का भाग लेना आवश्यक नही है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु सं0–03 में दी गयी समस्त शर्तो को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

11– विज्ञप्ति के अनुसार ई–निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भूस्वामी के प्रथम इनकार हेतु निर्धारित अवधि 07 कार्यदिवस के पूर्व प्राप्त ई–निविदाओं को **दिनांक 27/03/2024** को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

12– भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नही करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू–स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू–स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।

13– सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

14– लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई–निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 20 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नही करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन पर विचार योग्य नहीं होगा। खनन पट्टे पर प्रथम 10 वर्षो के लिए संदेय धनराशि बोली दर अथवा समय–समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो ऐसी प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।

15– जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

16– खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

17– सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक–14/09/2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/ स्कीम बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

CS CamScanner

18– यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिए आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर से गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।

19– पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।

20– परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

21– अन्य नियम एवं शर्तेः–जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन लखनऊ।
3– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद मीरजापुर।
4– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5– प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र,
6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मीरजापुर।
7– नाजिर, सदर कलेक्ट्रेट मीरजापुर को कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by JEETENDRA SINGH
Date: 2024.03.18 15:21:08 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

CamScanner